भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1772

उत्तर देने की तारीख- **05/12/2024**

सोनभद्र और चंदौली जिलों में वन अधिकार अधिनियम

1772. श्री छोटेलाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) :क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिसम्बर, 2005 से पहले अपनी पैतृक भूमि पर रहने वाले जनजातीय लोगों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन विभाग के अधिकारी विशेषकर सोनभद्र और चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में गरीब और दलित आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल दलित आदिवासियों और अपनी पैतृक भूमि में रहने वाले गरीब लोगों को ही अपनी पैतृक भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार और स्वामित्व का अधिकार है; और

(च) यदि हां, तो सोनभद्र और चंदौली जिलों तथा देश के अन्य भागों में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन और दलित आदिवासियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए अब तक अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क), (ख), (ड) और (च): 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों को मान्यता देने और वन भूमि पर कब्जे को निहित

करने का प्रयास करता है।यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि स्व-खेती और निवास के लिए वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार और वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार, तथा वन भूमि के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर)। एफआरए के तहत पैतृक भूमि को पट्टे पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। एफआरए के अनुसार, प्रदत्त अधिकार वंशानुगत है, किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार, 'भूमि स्वामी' की परिभाषा में शामिल है - 'कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत वन अधिकार दिए गए हैं।'

(ग) और (घ): एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार हैं। एफआरए को 20 राज्यों (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) और 1 संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया जा रहा है। कार्यान्वयन प्रक्रिया में कार्य क्षेत्र (फील्ड) स्तर की समस्याओं को हल करने यदि कोई हों, और सरकारी योजनाओं (सिंचाई, सड़क, आवास आदि) का लाभ सुगम बनाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी एफआरए कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को दिनांक 06.07.2021 और 14.03.2024 को दो संयुक्त परामर्शियां जारी की हैं।

*****